>

Title: The Minister of Railways made a statement regarding death of 16 persons due to run over by train no. 9031 (Mumbai Central-Bhuj) Kutch Express between Udhna and Surat Railway Stations on 27.02.2008.

14.02 hrs.

*mo1

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त दुखी हृदय से सदन को दिनांक 27.2.2008 को ऊधना तथा सूरत स्टेशनों के बीच लगभग 10 बजे रात्रि, गाड़ी संख्या 9031 भुज कच्छ एक्सप्रेस से कटकर 16 व्यक्तियों की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में अवगत करा रहा हूं। प्रारम्भिक जांच से यह प्रतीत होता है कि सभी मृत व्यक्ति किसी ट्रेन से ऊधना स्टेशन पर उतरकर पैदल ऊधना एवं सूरत रेलवे स्टेशनों के मध्य स्थित एक रेल पुल पार कर रहे थे और इसी दौरान उपरोक्त गाड़ी से टकराकर कट जाने से सभी की मृत्यु हो गई।

घटना की प्रथम सूचना मिलते ही रेल प्रशासन, राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी चिकित्सक दल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उपरोक्त सभी 16 व्यक्ति, जिनमें 11 पुरूष, दो महिलाएं तथा तीन बच्चे थे, की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त रेल पुल का उपयोग केवल रेलगाड़ी के आने-जाने के लिए है तथा आम जनता के लिए इस पर चलना वर्जित है। उपरोक्त रेल पुल में केवल रख-रखाव हेतु प्रत्येक रेल लाइन के मध्य में रेल पथ का प्रावधान है, जिनका उपयोग जब कोई रेलगाड़ी न हो, तब केवल रेल कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि प्रारम्भिक जांच के अनुसार रेल प्रशासन का उपरोक्त दुर्घटना में कोई दायित्व नहीं बनता है, तब भी पूरे मामले की गहन जांच हेतु तीन वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक जांच समिति गठित कर दी गई है जो मौके पर जांच कर अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे। महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे द्वारा मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को दस हजार रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान करने की घोषणा की गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है।

नियमानुसार इस तरह की दुर्घटना होने पर किसी भी ट्रेन के ड्राइवर तथा सहायक ड्राइवर को अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचना देनी चाहिए, परन्तु उपरोक्त दुर्घटना में गाड़ी संख्या 9031 कच्छ एक्सप्रेस के ड्राइवर श्री ए.के. शर्मा तथा सहायक ड्राइवर श्री अरुण कुमार ने स्टेशन मास्टर सूरत को उपरोक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी इसलिए उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जी.आर.पी., सूरत द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में संख्या-59/08 अंतर्गत धारा 174 सीआरपीसी दर्ज किया गया है।...(व्यवधान) हमने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को पांच-पाच लाख रुपए देने की घोषणा की है।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री काशीराम राणा (सूरत): उपाध्यक्ष जी, हम रेल मंत्री जी के आभारी हैं कि इन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए देने की बात कही है।...(व्यवधान) मैं भी वहां रेल अधिकारियों के साथ गया था...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान) [R18]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing should be recorded.

(Interruptions) â€¦*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. Please sit down now.

...(*Interruptions*)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि आम जनता के लिए वह स्थान वर्जित रहता है, लेकिन फिर भी हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे कि पुल को क्रॉस करने का आल्टरनेटिव उपाय क्या हो सकता है। ...(व्यवधान) नेता विरोधी दल माननीय आडवाणी जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा सबसे पहले घटना की सूचना हमें मिली। हम नहीं थे तो उन्होंने राज्य मंत्री जी से बात की, इसलिए नेता विरोधी दल को धन्यवाद।

(Placed in Library, See No. LT 8135/2008)

* Not recorded